[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 30 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

सं0 28/2015-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं012/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. सं0 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम सं 76 के सामने, स्तंभ (4) में, “40%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ii) क्रम सं 77 के सामने, स्तंभ (4) में, “40%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(iii) क्रम सं 78 के सामने, स्तंभ (4) में, “40%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(iv) क्रम सं 113 के सामने, स्तंभ (4) में, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(v) क्रम सं 113क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(vi) क्रम सं 252 की मद (ii) के, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि “25% या 30 रूपये प्रति किलो जो न्यूनतम हो” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(vii) क्रम सं 276 के सामने, स्तंभ (4) में, “10%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम सं 428क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि “अंकीय स्थिर छवि वीडियो कैमरे” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ix) क्रम सं 429 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि “भागों और घटकों की अंकीय स्थिर छवि वीडियो कैमरे” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(फा.सं.334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 27/2015-सीमा शुल्क, तारीख 17 अप्रैल, 2015 सा.का.नि. 302(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था ।